ए.

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

वी.

एनआईटीआईएन

(2022 की सिविल अपील संख्या 5111)

बी.

अगस्त 03,2022

[इंदिरा बनर्जी और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे**.]**

सेवा कानून-अनुकंपा नियुक्ति-प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता के पिता, जो अपीलकर्ता-बैंक में काम कर रहे थे, ने चिकित्सा अक्षमता के आधार पर स्वैच्छिक समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया-अपीलकर्ता ने इसकी अनुमति दी और उन्हें डब्ल्यू. ई. एफ. से कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया-प्रत्यर्थी ने अपीलकर्ता की अनुकंपा नियुक्ति योजना के संदर्भ में अपने पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया-आवेदन में, प्रत्यर्थी ने इस तथ्य पर जोर दिया कि वह एक निजी बैंक में कार्यरत था-योजना के तहत अपीलकर्ता-बैंक द्वारा गठित समिति ने प्रत्यर्थी के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का परिवार योजना के तहत आवश्यक रूप से गरीब नहीं था-उच्च न्यायालय ने माना कि परिवार अक्षम था।अपीलार्थी बैंक की अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता के वित्तीय मानदंड हैं और ऐसे नियमों को सख्ती से समझा जाना चाहिए क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति समानता के नियम के लिए एक अपवाद है-प्रत्यर्थी का आवेदन और रिट याचिका केवल भौतिक तथ्यों के दमन के आधार पर खारिज किए जाने के लिए उत्तरदायी थी-उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया गया था।

सी.

डी.

ई.

एफ.

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

आयोजित किया गया:**1.** यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति समानता के नियम का एक अपवाद है, जो एक चिकित्सकीय रूप से अक्षम कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को सक्षम बनाता है, जिनके पास सेवानिवृत्त होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, या एक मृत कर्मचारी को अक्षमता या मृत्यु के कारण होने वाले तत्काल संकट से निपटने के लिए सक्षम बनाता है।**[**पैरा **20] [1083-**सी**]**

जी.

एच.

1076 ए.

1077

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम निटिन ए

2. इस मामले में, अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता का एक वित्तीय मानदंड है।अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए वित्तीय मानदंड प्रदान करने वाले नियम वैध और वैध नियम हैं जिनका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए, अन्यथा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आरक्षित कोटा को उन लोगों को छोड़कर भरा जाएगा जो अधिक और/या कहीं अधिक गंभीर वित्तीय संकट में हो सकते हैं।**[**पैरा **21] [1083-**ई**]**

बी.

3. जैसा कि इस अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम राज कुमार के मामले में **(2010) 11** एस**.** सी**.** सी**. 661** में कहा था, अनुकंपा नियुक्ति के दावे का पता केवल नियोक्ता द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए बनाई गई योजना से लगाया जा सकता है और ऐसी योजना के बाहर कोई अधिकार नहीं है।केवल आवेदन पर कोई स्वचालित नियुक्ति नहीं हो सकती है।प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता के पास सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य के रूप में कोई विशेष दावा या रोजगार का विशेष अधिकार नहीं था।**[**पैरा **22] [1083-**एफ**-**जी**]**

सी.

डी.

4. उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी की कि प्रत्यर्थी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपने आवेदन में आईसीआईसीआई बैंक के साथ अपनी नियुक्ति को दबा दिया था। रिट याचिका को केवल उसी आधार पर खारिज किया जा सकता था।**[**पैरा **23] [1083-**एच**; 1084-**ए**]**

ई.

उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य

(1994) 4 एससीसी 138:[1994] 3 एससीआर 893; केनरा बैंक और ए. एन. आर. बनामएम. महेश कुमार (2015) 7 एससीसी 412:[2015]

9 एससीआर **724;** बलबीर कुर और अन्र बनामइस्पात प्राधिकरण

इंडिया लिमिटेड और अन्य। (2000) 6 एससीसी 493:[2000] 3 एससीआर

एफ.

1053; उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य **(1994)**

4 एससीसी 138:[1994] 3 एस. सी. आर. 893; योगीश नागरोजी उगाले

v. प्रधान सचिव और अन्य के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य। (2020) 19 एस. सी. सी. 426; भारतीय स्टेट बैंक बनाम राज

कुमार (2010) 11 एससीसी 661:2010 (3) स्केल 635-संदर्भित।

जी.

मामला कानून संदर्भ

[1994] 3 एससीआर **893**

संदर्भित किया गया है

पैरा **5**

[2015] 9 एससीआर **724**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

एच.

[2000] 3 एससीआर **1053**

संदर्भित किया गया है

पैरा **15**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:सिविल अपील सं. 5111

2022.

बॉम्बे में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश दिनांक 04.08.2021 से, 2018 के डब्ल्यू. पी. संख्या 12352 में औरंगाबाद की पीठ।

बी.

देबल कुमार बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, दिव्यांशु सहाय, सुश्री श्रद्धा नारायण, अक्षय समय, मिथु जैन, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सी.

प्रज्ञान प्रदीप शर्मा, नीरज कुमार गुप्ता, रंजीत कुमार सिंह, कार्तिकेय दुतिया, सुश्री पल्लवी कुमारी, सुश्री आरती प्रसाद, अभिषेक कुमार, अधिवक्ता।प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी**,** जे**.**

डी.

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील बॉम्बे में उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ द्वारा पारित दिनांक 1 (खंड पीठ) के फैसले और आदेश के खिलाफ है, जिसमें प्रत्यर्थी द्वारा दायर 2018 की रिट याचिका संख्या 12352 को अनुमति दी गई है और अपीलार्थी को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन दायर करने में अपनी वरिष्ठता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रत्यर्थी के मामले पर विचार करने का निर्देश दिया गया है।

ई.

“ लेकिन याचिकाकर्ता के आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के साथ अपनी लिपिकीय नौकरी छोड़ने की तारीख से।

3. प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता के पिता, श्री वाई. पी. अरावाडे, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपीलकर्ता-बैंक की कोलगांव शाखा में विशेष सहायक के रूप में काम कर रहे थे, ने चिकित्सा अक्षमता के आधार पर 16.04.2015 पर सेवा से स्वैच्छिक समयपूर्व सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया।

एफ.

4. प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता के पिता की चिकित्सा अक्षमता के आधार पर समयपूर्व सेवानिवृत्ति की प्रार्थना को 26.06.2015 से अनुमति दी गई थी।

जी.

5. अपीलार्थी-बैंक ने समय-समय पर भारत सरकार/भारतीय बैंकों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मृत कर्मचारियों/शारीरिक रूप से अक्षम कर्मचारियों के आश्रितों के लिए योजनाएं तैयार की हैं।

एच.

उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों के अनुसार एसोसिएशन ने (1994) 4 एस. सी. सी. 138 में रिपोर्ट की।

6. 'अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के बदले एकमुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान की योजना' नामक एक योजना, जिसे इसके बाद 'योजना' के रूप में संदर्भित किया गया है, 14.12.2005 से लागू हुई।इस योजना में चिकित्सा अक्षमता के आधार पर समय से पहले सेवानिवृत्ति चाहने वाले कर्मचारियों को एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।

बी.

7. अपीलार्थी-बैंक के कर्मचारी, जो 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले चिकित्सा अक्षमता के कारण समयपूर्व सेवानिवृत्ति चाहते हैं, इस योजना के लाभ के हकदार होंगे, बशर्ते कि निर्धारित गणना के अनुसार परिवार की कुल मासिक आय कर्मचारी के अंतिम प्राप्त सकल वेतन के 60 प्रतिशत से कम हो।

सी.

8. एक परिपत्र सी. आई. आर./एच. आर./2014-15/532 4 दिनांकित 11.08.2014 होने के कारण, भारतीय बैंक संघ ने डी. ओ. पत्र No.18 2/2013-आई. आर. दिनांकित 07.08.2014 के माध्यम से भारत सरकार की मंजूरी के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में अनुकंपा नियुक्ति के लिए एक संशोधित योजना प्रसारित की।

डी.

9. भारतीय बैंक संघ द्वारा परिचालित इस योजना को अपीलार्थी-बैंक द्वारा अपनाया गया था।08.04.2018 दिनांकित एक परिपत्र द्वारा,

ई.

अपीलार्थी-बैंक ने "अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति या एकमुश्त अनुग्रह राशि के भुगतान की योजना" को अधिसूचित किया

राशि, जिसे इसके बाद 'अनुकंपा नियुक्ति योजना' के रूप में संदर्भित किया जाता है।अनुकंपा नियुक्ति योजना 06.08.2014 से लागू हुई।

एफ.

10. जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, 25.06.2015 दिनांकित एक आदेश द्वारा, अपीलकर्ता-बैंक ने कहा कि प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता के पिता वाई. पी. अरवाडे को चिकित्सा अक्षमता के आधार पर स्वेच्छा से सेवा से सेवानिवृत्त होने की अनुमति दी और उन्हें 25.06.2015 से कर्तव्य से मुक्त कर दिया गया।

11. 20.07.2015 पर, प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति योजना के संदर्भ में अपने पिता के स्थान पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया।ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय जब प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, वह आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में क्लर्क के रूप में काम कर रहा था।

जी.

एच.

12. अनुकंपा नियुक्ति के लिए अपने आवेदन में, प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता ने इस तथ्य को दबा दिया कि वह आईसीआईसीआई बैंक में कार्यरत था।उन्होंने खुद को नौकरी न करने के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया।प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए अपना आवेदन जमा करने के लगभग आठ महीने बाद 02.03.2016 पर इस्तीफा दे दिया।

बी.

13. 25 जनवरी, 2018 को अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत गठित चार सदस्यीय समिति द्वारा प्रत्यर्थी के आवेदन पर विचार किया गया था।समिति ने पाया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी

<ID1,110/- की मासिक पेंशन अर्जित कर रहा था और उसे कुल <ID2,05,766/- के अन्य सेवानिवृत्त वित्तीय लाभ प्राप्त हुए थे।Rs.12,10,061/- की ऋण देनदारियों को समायोजित करने के बाद, प्राप्त शुद्ध राशि Rs.14,95,705/- थी।इसके अलावा, सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार को निवेश से रुपये. 3,70,442 मिले।समिति ने याचिकाकर्ता के साथ प्रत्यर्थी की अनुकंपापूर्वक नियुक्ति के प्रस्ताव को इस आधार पर खारिज कर दिया कि सेवानिवृत्त कर्मचारी का परिवार गरीब नहीं था क्योंकि परिवार की अनुमानित मासिक आय Rs.36,773/- थी, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी के Rs.55,978/- के अंतिम प्राप्त सकल वेतन के 60 प्रतिशत से अधिक थी।यह अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति की एक शर्त थी कि परिवार की कुल आय सेवानिवृत्त कर्मचारी के अंतिम प्राप्त सकल वेतन के 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

सी.

डी.

ई.

14. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार की मासिक आय का अनुमान उस मासिक वेतन को ध्यान में रखे बिना लगाया गया था जो प्रत्यर्थी रिट याचिकाकर्ता को आईसीआईसीआई बैंक से उस समय मिल रहा था जब उसके पिता चिकित्सा अक्षमता के आधार पर समय से पहले सेवा से सेवानिवृत्त हुए थे।

एफ.

15. उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया

केनरा बैंक और ए. एन. आर. बनामएम. महेश कुमार ने **(2015) 7** एस. सी. सी. **412** में रिपोर्ट किया**;** बलबीर कुर और अन्न बनामस्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

(2000) 6 एस. सी. सी**. 493** में रिपोर्ट किया गया**;** और योगीश नागरोजी उगाले बनाम**.**

प्रधान सचिव और अन्य के माध्यम से महाराष्ट्र राज्य ने सूचना दी

जी.

(2020) 19 एस. सी. सी. 426 में प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क देने के लिए उद्धृत किया गया है कि प्रत्यर्थी-लिखित याचिकाकर्ता के अनुकंपा के आधार पर अपीलार्थी-बैंक के रोजगार में शामिल किए जाने के अधिकार को केवल इसलिए पराजित नहीं किया जा सकता क्योंकि परिवार गरीब था।

16. केनरा बैंक (ऊपर), इस प्रस्ताव के लिए एक प्राधिकरण नहीं है कि वित्तीय मानदंड ए के लिए दावे की अस्वीकृति का आधार नहीं हो सकता है।

अनुकंपा नियुक्ति।बल्कि**,** इस न्यायालय ने उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य मामले में **(1994) 4** एस**.** सी**.** सी**. 138** में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के पहले के फैसले में निम्नलिखित पैराग्राफ को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया:**-**

"2. ... इस प्रकार अनुकंपापूर्ण रोजगार देने का पूरा उद्देश्य परिवार को अचानक आए संकट से उबरने में सक्षम बनाना है।उद्देश्य यह नहीं है कि ऐसे परिवार के किसी सदस्य को मृतक द्वारा धारण किए गए पद के लिए बहुत कम पद दिया जाए।इसके अलावा, केवल एक कर्मचारी की मृत्यु उसके परिवार को आजीविका के ऐसे स्रोत का हकदार नहीं बनाती है। सरकार या संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण को मृतक के परिवार की वित्तीय स्थिति की जांच करनी होती है, और यह केवल तभी होता है जब यह संतुष्ट हो जाता है, कि रोजगार के प्रावधान के अलावा, परिवार इस संकट को पूरा नहीं कर पाएगा कि परिवार के योग्य सदस्य को नौकरी दी जानी है।कक्षा III और IV में पद गैर-मैनुअल और मैनुअल श्रेणियों में सबसे कम पद हैं और इसलिए अकेले उन्हें अनुकंपा के आधार पर पेश किया जा सकता है, जिसका उद्देश्य परिवार को वित्तीय अभाव से राहत देना और आपातकाल से उबरने में मदद करना है। नियम को अपवाद बनाकर ऐसे सबसे निचले पदों पर रोजगार का प्रावधान उचित और वैध है क्योंकि यह भेदभावपूर्ण नहीं है।ऐसे पदों पर मृतक कर्मचारी के ऐसे आश्रित को दिए जाने वाले अनुकूल व्यवहार का उस उद्देश्य के साथ एक तर्कसंगत संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है अर्थात निर्धनता के खिलाफ राहत।इस उद्देश्य के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कोई अन्य पद दिए जाने की अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है।इस संबंध में यह याद रखना चाहिए कि मृतक के बेसहारा परिवार के विपरीत लाखों अन्य परिवार हैं जो समान रूप से, यदि अधिक बेसहारा नहीं हैं।मृतक कर्मचारी के परिवार के पक्ष में बनाए गए नियम का अपवाद उसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं और वैध अपेक्षाओं और पूर्ववर्ती रोजगार से उत्पन्न परिवार की स्थिति और मामलों में परिवर्तन पर विचार करना है, जो अचानक बदल जाते हैं।'

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

* * *20. इस प्रकार अनुकंपा के आधार पर रोजगार के दावे पर विचार करते समय निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखना होगाः

जी.

(i) सरकार द्वारा जारी नियमों या विनियमों के अभाव में अनुकंपा रोजगार नहीं किया जा सकता है।

एच.

सरकार या सार्वजनिक प्राधिकरण।अनुरोध पर शासी योजना के अनुसार सख्ती से विचार किया जाना चाहिए, और योजना में अनुकंपापूर्वक नियुक्ति करने के लिए कोई विवेकाधिकार नहीं छोड़ा गया है।

((ii) अनुकंपा रोजगार के लिए आवेदन को बिना किसी अनुचित देरी के प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उचित समय के भीतर विचार किया जाना चाहिए।

बी.

(iii) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति सेवा में रहते हुए कमाने वाले की मृत्यु या चिकित्सा अयोग्यता के कारण परिवार में होने वाले अचानक संकट से निपटने के लिए होती है।इसलिए, दयालु रोजगार निश्चित रूप से उदारता के रूप में प्रदान नहीं किया जा सकता है, भले ही

सी.

मृतक/अक्षम व्यक्ति की वित्तीय स्थिति

कर्मचारी का परिवार उसकी मृत्यु या अक्षमता के समय, जैसा भी मामला हो।

डी.

(4. अनुकंपा रोजगार केवल मृत/अक्षम कर्मचारी के आश्रितों में से एक यानी माता-पिता, पति या पत्नी, बेटे या बेटी के लिए अनुमत है और सभी रिश्तेदारों के लिए नहीं, और ऐसी नियुक्तियां केवल निम्नतम श्रेणी यानी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए होनी चाहिए।"

ई.

17. बलबीर कौर (सुप्रा) मामले में, इस न्यायालय ने तथ्यों पर निर्णय दिया कि एक मृत कर्मचारी के परिवार को मासिक भुगतान का आश्वासन देने वाली पारिवारिक लाभ योजना अनुकंपा नियुक्ति का विकल्प नहीं है।यह निष्कर्ष अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित लागू परिपत्र के संदर्भ में प्रस्तुत किया गया था।

एफ.

18. यू मेश नारोजी उगाले (ऊपर) में, अनुकंपा नियुक्ति को 22.08.2005 पर लगाए गए अनुकंपा नियुक्ति पर प्रतिबंध के आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था, जिसे 22.03.2012 दिनांकित प्रस्ताव द्वारा जारी रखा गया था।हालाँकि, इस न्यायालय ने तथ्यों पर पाया कि प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों के लिए शुरू में 31.12.2011 तक छूट दी गई थी।इसके बाद, दिनांक 1 के एक प्रस्ताव द्वारा, महाराष्ट्र सरकार ने अनुकंपा के आधार पर समूह 'सी' और 'डी' पदों की भर्ती को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 करने का निर्णय लिया था। % 2012 से श्रेणी 'सी' और 'डी' के रिक्त पदों की संख्या।इसलिए न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि सरकार 2005 के प्रतिबंध के बावजूद अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां करना जारी रखे हुए है।ए के अनुदान के लिए वित्तीय मानदंड का प्रश्न

जी.

एच.

1083

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बनाम नितिन [इंदिरा बनर्जी, जे.] ए.

योगीश नागरोजी उगले **(**ऊपर**)** में अनुकंपा नियुक्ति का कोई मुद्दा नहीं था।

19. हमारे विचार में, खंड पीठ ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में स्पष्ट रूप से गलती की कि क्या परिवार गरीब था या नहीं, एक उम्मीदवार को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है जो अन्यथा अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत नियुक्ति के लिए पात्र था।

बी.

20. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुकंपा नियुक्ति समानता के नियम का एक अपवाद है, जो एक चिकित्सकीय रूप से अक्षम कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्यों को सक्षम बनाता है, जिनके पास सेवानिवृत्त होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, या एक मृत कर्मचारी को अक्षमता या मृत्यु के कारण होने वाले तत्काल संकट से निपटने के लिए सक्षम बनाता है।अनुकंपा नियुक्ति समान रूप से या अधिक मेधावी उम्मीदवारों को, जिन्हें नौकरी की बहुत आवश्यकता होती है, विचार के क्षेत्र से बाहर करती है।इसलिए, अनुकंपा नियुक्ति के लिए विचार मृतक/समय से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारी पर लागू अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रचलित नियमों के अनुसार सख्ती से होना चाहिए।

सी.

डी.

21. इस मामले में, अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्रता का एक वित्तीय मानदंड है।अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए वित्तीय मानदंड प्रदान करने वाले नियम वैध और वैध नियम हैं जिनका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए, अन्यथा अनुकंपा नियुक्ति के लिए आरक्षित कोटा को उन लोगों को छोड़कर भरा जाएगा जो अधिक और/या कहीं अधिक गंभीर वित्तीय संकट में हो सकते हैं।

ई.

22. जैसा कि इस अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक बनाम राज कुमार (2010) 11 एस. सी. सी. 661 में अभिनिर्धारित किया है, जिसमें अपीलकर्ता-बैंक की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री देबल कुमार बनर्जी द्वारा उद्धृत किया गया है, अनुकंपा नियुक्ति का दावा केवल नियोक्ता द्वारा इस तरह के रोजगार के लिए बनाई गई योजना से पता चलता है, और ऐसी योजना के बाहर कोई अधिकार नहीं है।केवल आवेदन पर कोई स्वचालित नियुक्ति नहीं हो सकती है।प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता के पास सेवानिवृत्त कर्मचारी के आश्रित परिवार के सदस्य के रूप में कोई विशेष दावा या रोजगार का विशेष अधिकार नहीं था।

एफ.

जी.

23. उच्च न्यायालय ने अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत अनुकंपा नियुक्ति के लिए वित्तीय मानदंडों की अनदेखी करने में स्पष्ट रूप से गलती की।इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी की कि प्रत्यर्थी ने आईसीआईसीआई बैंक में अपनी नियुक्ति को दबा दिया था।

एच.

अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन।रिट याचिका को केवल उसी आधार पर खारिज किया जा सकता था।

24. अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में कानून अच्छी तरह से स्थापित होने के कारण, इस न्यायालय के लिए श्री देबल कुमार बनर्जी द्वारा उद्धृत अन्य निर्णयों पर चर्चा करना आवश्यक नहीं है, विशेष रूप से इसलिए कि प्रतिवादी-लिखित याचिकाकर्ता का आवेदन, किसी भी मामले में, भौतिक तथ्यों के दमन के आधार पर खारिज होने के लिए उत्तरदायी था।

बी.

25. तदनुसार, अपील की अनुमति दी जाती है।विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

सी.

अंकित ज्ञान

अपील की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.